

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

गु. नं.- 37/22

श्रीमती कल्लीदेवी बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

क्रिस्ममुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>हुका / अह: अग्रणी सी. 2 पत्रा 4 का जवाब अवलर बंद किया जाता है। मा.फा से संबंध वाद पत्र का इच्छोकन करने पर पामा गया कि मा.फा के अग्रणी सी. 5 के हाना प्रस्तुत जवाब मा.फा बरफत से वाद पत्र में शामिल कर लिया गया था जिससे जिसे वाद पत्र से हथक करे प्री.पत्र में शामिल कर लिया गया है। प्रजाकी वास्ते बरफत. मा.फा 1-2 दिनांक 24.12.24 को पेश हो रू</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	
	<p>24.12.24 प्रजापली पेश हुई वकील प्रार्थना उपस्थित / प्रजापलीवास्ते बरफत मा.पत्र 1-2 दिनांक 23.12.24 को पेश हो रू</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	
	<p>23.12.25 प्रजापली पेश हुई वकील पञ्जबाराण को वाद -2 अग्रणी दिनांक गई। इमच पत्रा अनुपस्थित रहे। इसलिये प्रजापली शोदेश 9 निमम 3 पर (पत्रा दोनों में से बोर भी पञ्जबारा उपस्थित नहीं होना है- पत्रा वाद का खारिज किया जाना) के बरफत बरफत प्रापधानों का प्रयोग करते हुए पञ्जबारा की क्रिम खपरी व क्रिम चोरनी के खारिज की जाती है। साथ ही प्रजापली में दिनांक 06.6.22 से जारी अग्रणी अग्रणी निवेदनका के प्रचलन से समाप्त किया जाता है। प्रजापली</p>	